फा.सं. ई.11022/1/2017-हिन्दी

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक:18.01.2018

<u>परिपत्र</u>

विषयः मंत्रालय में चल रही हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना के लिए प्रविष्टियां मंगाने के संबंध में।

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी को प्रेरणा और प्रोत्साहन से आगे बढ़ाने के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्यालयों में उनके कार्यों से संबंधित विषय वस्तु पर लेख/पुस्तकें आदि प्रकाशित करने का प्रावधान है। अतः सरकार की राजभाषा नीति को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में 01 जनवरी, 2017 से हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन योजना चल रही है।

योजना का विवरण इस प्रकार हैः-

1. योजना 1 जनवरी, 2017 से लागू है।
2. **योजना का नाम "जल/जल संसाधन के विषय में हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन योजना"** है।
3. योजना के तहत "पुस्तक" का आशय लेखक/लेखकों द्वारा मूलतः लिखी गई पुस्तक से है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए।

उद्देश्यः- योजना का उद्देश्य जल/जल संसाधनों संबंधी विभिन्न विषयों के बारे में हिन्दी में उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण सूचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक साहित्य सृजन को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना है।

पुरस्कारः- प्राप्त प्रविष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए 1,00,000 (एक लाख) रूपए का पुरस्कार रखा गया है।

अवधिः- इस योजना की अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की है और पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए उन पुस्तकों पर विचार किया जाएगा जो पुरस्कार से संबंधित कैलेंडर वर्ष से पहले लिखी गई होंगी।

पुरस्कार की पात्रता एवं शर्तेः- 1. पुस्तक की विषय वस्तु जल/जल संसाधनों से संबंधित होगी। 2. इस योजना में भारत का कोई भी नागरिक, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी या किसी शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्ति भाग ले सकता है।